कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/2017	8.3.2017	27-3-2018

अयूब खां पुत्र छोटे खां, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुरसिटी——प्रार्थी

बनाम

1. मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद उमर, मुसलमान नि0जैतपुर तह0गंगापुरसिटी
2. मोहम्मद उमर पत्र कोरद्दीन, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. आबिद पुत्र मोहम्मद उमर, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. खालिद पुत्र मोहम्मद उमर, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. मारूफ पुत्र मोहम्मद उमर, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. अब्दुल पुत्र मोहम्मद उमर, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. साईना पत्नि आबिद, मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
8. जैनून पत्नि खालिद,मुसलमान नि0 जैतपुर तह0 गंगापुरसिटी——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :— श्री छुट्टन लाल बैरवा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद अजीम,एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि श्रीमान् के न्यायालय में प्रार्थी द्वारा दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तलबी उपरान्त प्रतिवादीगण की उपस्थिति एवं सहमति पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी का टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 3.10.16 को अन्तिम रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अमर से पाबंद फरमाया गया था कि वे अपनी आराजी ख0नं0 1096/642 रकबा 0.10 है0 भूमि पर ही काबिज रहेगा तथा प्रार्थी की भूमि ख0नं0 642 रकबा 0.50 है0 में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अपनी 10 एयर भूमि का स्वयं के खर्चे पर सीमाज्ञान नायब तहसीलदार तलावडा से करा लेवें। अप्रार्थीगण मोहम्मद साजिद वगैरा ने दिनांक 3.10.2016 के आदेश की पालना में दिनांक 11.11.2016 को भू—अभिलेख निरीक्षक तलावडा व पटवारी खेडाबाढ रामगढ से ख0नं0 642 रकबा 0.50 है0 व ख0नं0 1096/642 रकबा 0.10 है0 का औपचारिक सीमाज्ञान करा लिया है और प्रार्थी अयूब को इसकी कोई जानकारी नहीं दी। जब प्रार्थी को इस सीमाज्ञान की जानकारी मिली तो प्रार्थी ने भू—अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के समक्ष पुनः सीमाज्ञान कराने की बात रखी तो उन्होने स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रार्थी से फर्द मौका

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (...)